

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अंगुलि 14 फारम 5621

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तांक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०

जिला

लातेहार

सं०

153

सन्

2022-23

कोस का प्रकार :- रयती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

आदेश का
कार्यालय
दिनांक

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

02.03.23

आवेदक/आवेदिका राम अमृताराम
पिता/प्रति राम अमृताराम साकिन पंका धाना बरवाडीह
जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु
अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा	खाता नया/पुराना	लॉट	रकबा
<u>पंका</u>	<u>55</u>	143 -	0.03 1/2
<u>27</u>		144 -	0.09
		145 -	0.10
			<u>0.22 1/2</u> <u>र०</u>

राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक 16.03.23 को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

16.03.23

अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री राम अमृताराम पिता/प्रति राम अमृताराम साकिन पंका में दाखिल खारिज वाद संख्या 97/85-86 के द्वारा रकबा 0.22 1/2 र० भूमि प्राप्त किये हैं। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

१३५
 ६
 ७२
 ०.२२ १/२ २६

४-६ को अनुसार -
 भूजमा का नाम/धाना सं०
 ८१६१/२२
 खाता
 ६६

खाते
 १५३ =
 १५५ = ०.०३ १/२
 १५६ = ०.०९
 ०.१०
 ०.२२ १/२

उक्त भूमि का जमाबंदी २१३१३/११२१३ पिता २१३१३ साकिन...
 के नाम से C.S. मांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेद
 का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल
 पदाधिकारी/बरवाडीह/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० ९७/८६-८६
 द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगा
 रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष २०१२-१३ तक लगान रसीद निर्गत है। लगान
 रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का
 सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खा
 द संख्या ९७/८६-८६ के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका ल
 २०१२-१३ तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार वि
 खंड रांची के पत्रांक १७०४ दिनांक १५.०७.२०२० के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने
 रांची-४ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की दी जाती है। उक्त आ
 शी सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।
 तदनुसार आदेश का उद्वरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।
 आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतू दें तथा अनुपा
 र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रत के अन्दर समर्पित करें।

१६/७/२०
 १६३२३
 अंचल अधिकारी
 बरवाडीह।